

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 235/2025

अल्लादिता पुत्र शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. शरीफ मोहम्मद पुत्र यासीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।
  2. सकुरा बीबी पत्नी शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया।
  3. नियाज मोहम्मद पुत्र शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया।
  4. कुरशैदा बीबी पुत्री शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया।
- तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री महावीर बरेड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में छोड़े गए हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 9 एमएमके के खाता सं. 53/55 जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में दर्ज कृषि भूमि मे से वादी अल्लादिता पुत्र शरीफ मोहम्मद को 0.759 है. कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 2 सकुरा बीबी पत्नी शरीफ मोहम्मद को 0.759 है. कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं. 3 नियाज मोहम्मद पुत्र शरीफ मोहम्मद को 0.759 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज...~~नल~~...~~मुब्लिक~~...~~निल~~...~~बाबत~~...~~निल~~...~~खर्चा~~ मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...~~अदा~~ करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...3.6.2020...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
जय कौशिक  
संगरिया